

# FORM NO. III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत—जिला कलेक्टर

मुकाम : दौसा

कौशल्या देवी देवी बनाम मूली देवी वगै०

किस्म मुकदमा— नामान्तरण अपील संख्या 23/2019

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तामील  
में जारी हुए

अधिवक्ता अपीलांट एवं अधिवक्ता रेस्पो० संख्या 03 व 04 उपस्थित। अधिवक्ता अपीलांट व रेस्पो० संख्या 03 व 04 ने एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया कि पक्षकारों के मध्य विवादित संपत्ति बाबत स्वेच्छा से राजीनामा हो गया है। पक्षकारान इस अपील को आगे नहीं चलाना अंकित करते हुए पक्षकारान ने अपील नोट प्रेस में खारिज करने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थना पत्र एवं मूल पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधिवक्ता अपीलांट व अधिवक्ता रेस्पो० सं० 03 व 04 को सुना गया।

अधिवक्ता अपीलांट ने बहस में कथन किया कि न्यायालय में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील उनवानी कौशल्या देवी देवी बनाम मूली देवी वगै० विचाराधीन है। उक्त प्रकरण में पक्षकारान के मध्य आपसी सहमति से राजीनामा हो गया है। अतः प्रकरण नोट प्रेस में खारिज फरमा दिया जावे।

अधिवक्ता गैर निगरानीकारा सं० 03 व 04 ने अपील को नोट प्रेस में खारिज किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया गया।

अतः निगरानीकारान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र बाबत प्रकरण नोट प्रेस में खारिज किये जाने स्वीकार किया जाता है। प्रकरण उनवानी कौशल्या देवी देवी बनाम मूली देवी वगै० नामा० अपील प्रकरण संख्या 23/2019 नोट प्रेस में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भंडार हो। खुले न्यायालय सुनाया गया।



जिला कलेक्टर  
दौसा



लेख (मु.सं.)  
दौसा के पत्रावली  
1626/2019  
14-07-2022  
द्वारा मुल  
गोपान्त (कल)  
संख्या 530  
दिनांक 04/07/22  
पुणे